मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त 2014-श्रावण 10, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर

प्रधान कार्यालय ''वित्त भवन'' मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर-452001

सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश वित्त निगम के अंशधारियों की उनसाठवीं वार्षिक साधारण बैठक बुधवार, दिनांक 13 अगस्त, 2014 को दोपहर 2.00 बजे मुम्बई-आगरा मार्ग, वित्त भवन, इन्दौर स्थित निगम के प्रधान कार्यालय में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादन किया जायेगा:-

1. 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान निगम के कार्यों के सम्बन्ध में संचालक मण्डल की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार.
2. वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु सांविधिक अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार.
3. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय जो बैठक में प्रस्तुत किया जावे.

निगम की अंशबही दिनांक 24 जुलाई, 2014 से 13 अगस्त, 2014 तक (दोनों दिन मिलाकर) बन्द रहेगी.

नोट :—

(क) उनसाठवीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतिलिपियों (उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित जिसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था) जिसमें कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हों, निगम कार्यालय में बैठक के 4 दिन पूर्व (सम्पूर्ण दिन) अर्थात् 7 अगस्त, 2014 तक पहुंच जाना चाहिए.

(ख) प्रतिपत्र (प्रॉक्सी) निगम के कार्यालय में बैठक के 7 दिन (सम्पूर्ण दिन) पूर्व, अर्थात् 4 अगस्त, 2014 तक पहुंच जाना चाहिए.

(ग) अंशधारियों की सूची एक रुपया प्रति की दर से निगम कार्यालय में बैठक के तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध हो सकेगी.

17 जुलाई, 2014
''वित्त भवन''
मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर-452 001.
(211-बी.)

संचालक मण्डल के आदेशानुसार

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting of the Shareholders of the Madhya Pradesh Financial Corporation will be held at the Head Office of the Corporation "Finance House", Mumbai-Agra Road, Indore on Wednesday, the 13th August, 2014 at 2.00 P.M. to transact the following business :—

1. To Read and consider the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Corporation for the year which ended on 31st March, 2014 (together with the Report of the Auditors thereon) and the Report of the Board of Directors of the Corporation on its working during the year.

2. To consider appointment of Statutory Auditors for the Financial Year 2014-15.

3. Any other business which may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

The Share Register of the Corporation will remain closed from 24th July to 13th August, 2014 (both days inclusive).

Notes :—

(a) Certified copies (certified to be true copies by the Chairman of the meeting in which the resolution is passed) of the Resolutions appointing duly authorized representatives by Companies to attend the 59th Annual General Meeting should reach the office of the Corporation not later than four clear days *i. e.* 7th August, 2014.

(b) Proxies should reach the office of the Corporation not later than seven clear days before the date fixed for the meeting *i. e.* 4th August, 2014.

(c) Lists of Shareholders are available at the office of the Corporation for purchase by Shareholders at a price of Re. 1/- per copy, three weeks before the date fixed for the meeting.

By Order of the Board of Directors,

MADHU KHARE,
Managing Director.

17 July, 2014
"Finance House"
Mumbai-Agra Road,
INDORE-452 001.

(211-A-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, ऊषा चौरिया पत्नी नवीन्द्र चौरिया, जाति कोरी मेरा सही नाम ऊषा चौरिया है. शादी से पहले व कक्षा 10वीं, 12वीं, बी.ए. की सर्टिफिकेट (मार्कशीट) मेरा नाम ऊषा आर्य दर्ज है. शादी के बाद कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम सुरभि चौरिया हो गया है, जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस. अत: अब वर्तमान में मैं अपना नाम ऊषा चौरिया ही रखना चाहती हूँ. आज दिनांक 04 जुलाई, 2014 से मुझे हमेशा के लिये मेरा नाम ऊषा चौरिया से जाना-पहचाना जावे, आज से सरकारी, गैर सरकारी, चल-अचल सम्पत्ति व सभी मौखिक व लिखित कार्यों में मेरा नाम ऊषा चौरिया ही लिखा-पढ़ा व बोला जावेगा.

पुराना नाम :

(ऊषा आर्य)

नया नाम :

(ऊषा चौरिया)
पति का नाम-नवीन्द्र चौरिया,
पता—शासकीय आवास, उप जेल,
अशोक नगर (म.प्र.).

(212-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम ऊषा पुत्री श्री रामेश्वर सिंह अंकित है. अब मैंने अपना नाम परिवर्तन करके आशा सिंह रख लिया है. अत: मुझे समस्त दस्तावेजों में ऊषा के स्थान पर आशा के नाम से लिखा, पढ़ा एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(ऊषा)

नया नाम :

(आशा सिंह)

बारादरी, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(213-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सुहेल हुसैन पिता इकबाल हुसैन एल. आई. सी. अभिकर्ता, पता 271/2 शास्त्री वार्ड नं. 28, पाढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) 480334. मैं, अपना उपनाम बदलना चाहता हूँ तथा आज के बाद मुझे सुहेल पटेल पिता इकबाल पटेल के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(सुहेल हुसैन)

नया नाम :

(सुहेल पटेल)

(214-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, रघुनाथ सी. एम. (Raghunath C.M.), निवासी डी-10, अपेक्स बैंक कॉलोनी, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल घोषणा करता हूँ कि मेरा नाम त्रुटिवश रघुनाथ सी. एम. के स्थान पर रघुनाथ नायर दर्ज हो गया है. मेरा सही नाम रघुनाथ सी. एम. है. अत: मेरे पुत्र अजिननाथ के समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम रघुनाथ सी. एम. (Raghunath C.M.) लिखा जावे.

पुराना नाम :

(रघुनाथ नायर)

नया नाम :

(रघुनाथ सी. एम.)

(215-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम संजय कुमार पिता शिव चन्द्र प्रसाद सिंह दर्ज था, जो अब परिवर्तित होकर संजय कुमार सिंह पिता शिव चन्द्र प्रसाद सिंह हो गया है. अत: अब आगे भी मुझे इसी संजय कुमार सिंह नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(संजय कुमार)

नया नाम :

(संजय कुमार सिंह)

उप-प्रबंधक,

इंदिरा सागर पावर स्टेशन, F-8, नर्मदानगर,

तहसील पुनासा, जिला-खण्डवा, पूर्व निमाड़ (म.प्र.).

(217-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मंजू ठाकुर पिता मोहनलाल ठाकुर था, जो शादी बाद बदलकर कोमल रमानी पति अरूण रमानी हो गया है. अत: अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(मंजू ठाकुर)

नया नाम :

(कोमल रमानी)

2, शांती नगर, श्रीनाथजी रेजीडेंसी,

फ्लेट नं. 201, श्री नगर एक्सटेंशन, इन्दौर (म.प्र.).

(219-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम श्रीमती अरूण लता जैन पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार जैन के नाम से जानी जाती थी. अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर श्रीमती अरूण कान्ता मेहता रख लिया है. भविष्य में मुझे श्रीमती अरूण कान्ता मेहता के नाम से जाना एवं पहिचाना जावे एवं सभी शासकीय, अशासकीय विभागों में भी मेरा नाम श्रीमती अरूण कान्ता मेहता ही मान्य होगा.

पुराना नाम :

(अरूण लता जैन)

नया नाम :

(अरूण कान्ता मेहता)
निवासी—निर्धन नगर, पेट्रोल पम्प के पास,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(220-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम पारस तोमर पुत्र श्री कमल सिंह के नाम से जाना जाता था. अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर पारस तमर पुत्र श्री कमल सिंह तमर रख लिया है. भविष्य में मुझे पारस तमर पुत्र श्री कमल सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं सभी शासकीय विभागों में मेरा नाम पारस तमर ही मान्य होगा.

पुराना नाम :

(पारस तोमर)

नया नाम :

(पारस तमर)
निवासी—एफ-4, विवेक बिहार, महल क्षेत्र,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(221-बी.)

NAME CORRECTION

My First Name is - AMAR
My Second Name is - LAL
My Father Name is - SACHANAND/SCHOOMAL
My Surname is - CHUGH

I use any name from the following patterns :

Amar, Amar Lal, Amar Lal Chugh or Amar Lal Sachanand.

All name belongs to me.

(AMAR CHUGH)
135, Palsikar Colony, Indore (M.P.).

(222-B.)

CHANGE OF NAME

I, was known as Rambharos Thakur. I have changed my name & henceforth I shall be known as Prakash Thakur S/o Kundan Lal.

Old Name :

(RAMBHAROS THAKUR)

New Name :

(PRAKASH THAKUR)
Address—Ward No. 14, Near Irrigation Colony,
Nainpur, Tehsil-Nainpur, Distt-Mandla (M.P.).

(225-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा शादी पूर्व नाम व उपनाम अनिता बाखरू था. शादी बाद परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम श्रीमती कंचन धीरिया (SMT. KANCHAN DIRIA) हो गया है. अतः अब मुझे अपने नए नाम उपनाम से जाना पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(अनिता बाखरू)
(ANITA BAKHRU)

नया नाम :

(श्रीमती कंचन धीरिया)
(SMT. KANCHAN DIRIA)
74, श्रवण कान्ता स्टेट, निजामुद्दीन, कॉलोनी रोड,
अयोध्या, मेल, भोपाल, मध्यप्रदेश.

(230-बी.)

सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स निर्मला मिनरल्स, खितौला बाजार, सिहोरा ब्रान्च ऑफिस पाठक वार्ड कटनी (मध्यप्रदेश) की भागीदार श्रीमती निर्मला पाठक धर्मपत्नी स्व. श्री जितेन्द्र पाठक दिनांक 31 मार्च, 2014 से फर्म से पृथक हो चुकी है.

भवदीय,
मेसर्स निर्मला मिनरल्स,
(सत्येन्द्र पाठक)
(भागीदार)
वास्ते—एडव्होकेट के. के. शर्मा,
कटनी (म.प्र.).

(216-बी.)

सार्वजनिक सूचना

मेरे पक्षकार श्री आनंद जैन पिता श्री प्रकाश जैन जो कि मेसर्स श्री नाकोड़ा जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्ट्री के भागीदार होकर उनसे प्राप्त ज़ानकारी अनुसार सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, कि मेसर्स श्री नाकोड़ा जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्ट्री का व्यापार ग्राम पाडल्या खुर्द करई के पास तह. महेश्वर, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश) से संचालित किया जाता रहा है. मेरे पक्षकार के द्वारा उक्त फर्म मेसर्स श्री नाकोड़ा जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्ट्री का व्यापार अब वर्तमान में मुख्य आफिस फ्लेट नम्बर सी-10/2, वर्धमान टाउनसिप सर्वे क्रमांक 44-ए, ससाणेनगर हडपसर पुणे 411028 व ब्रांच आफिस ग्राम पाड़ल्या खुर्द करई के पास, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश) 451220 से संचालित किया जावेगा. उक्त फर्म से सबंन्धित व्यापार मेरे पक्षकार से ऊपर दिये गये पते अनुसार किया जावेगा. सो सूचित हो.

पंकज कैलाश जायसवाल,
(एडव्होकेट),
जी-1, चन्द्रकांता चेम्बर,
21-22, मोती तबेला, मेनरोड, इन्दौर (म. प्र.).

(218-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं. ए. एस. ट्रैडिंग कम्पनी मुरैना, भागीदार फर्म से फर्म भंग होने के कारण, भागीदार श्रीमती अंजलि अग्रवाल एवं श्री विजय अग्रवाल स्वेच्छा से दिनांक 2 अप्रैल, 2014 से पृथक हो गये हैं. अब इस फर्म के एक मात्र मालिक श्री अजय अग्रवाल हैं.

सर्व-साधारण सूचित हो.

भागीदार
अंजलि अग्रवाल,
विजय अग्रवाल,
अजय अग्रवाल,

(223-बी.)

भागीदारी फार्म में परिवर्तन हेतु सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार की फर्म मै. धीरज इंजीनियर्स एण्ड कान्ट्रेक्टर्स, रजिस्टर्ड, कार्यालय 73, नव आदर्श कॉलोनी, जबलपुर था. जिसे 01 अप्रैल, 1992 से 46, ए. पी. आर. कॉलोनी, कटंगा, जबलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है एवं दिनांक 01 अप्रैल, 1992 से फर्म के पांच भागीदारों में दो भागीदार— (1) श्रीमती देवी बाई खूबचंदानी पत्नी स्व. श्री नारायणदास खूबचंदानी एवं (2) श्रीमती सरोज खूबचंदानी पत्नी श्री तुलसी दास खूबचंदानी ने स्वेच्छा अनुसार अपने आप को भागीदार से निवृत्त कर लिया है. दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से फर्म के तीन भागीदारों में से एक भागीदार श्रीमती पुष्पा खूबचंदानी पत्नी श्री वासुदेव खूबचंदानी स्वेच्छा अनुसार भागीदारी से निवृत्त हो गई है तथा दो नये भागीदार — (1) श्रीमती मोना खूबचंदानी पत्नी श्री अशोक खूबचंदानी एवं (2) श्री धीरज दरयानी आत्मज श्री सत्यपाल दरयानी सम्मिलित किये गये हैं दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से फर्म के चार भागीदारों में से दो भागीदार— (1) श्री अशोक खूबचंदानी आत्मज श्री तुलसी दास खूबचंदानी, (2) श्रीमती मोना खूबचंदानी पत्नी श्री अशोक खूबचंदानी स्वेच्छा अनुसार भागीदार से निवृत्त हो गये हैं एवं एक नये भागीदार श्रीमती कंचन दरयानी पत्नी श्री सत्यपाल दरयानी को सम्मिलित किया गया है.

एम. सी. यादव,
(एडवोकेट).

(224-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स डीयरहिल स्थित आजाद नगर, गली नं. 1, मुरार, ग्वालियर में दिनांक 26 जुलाई, 2014 से भागीदार क्रमशः (1) राजकुमार पाल पुत्र श्री ओम प्रकाश पाल, निवासी एम. एच. चौराह, सिंहपुर रोड, मुरार, ग्वालियर (2) केशव सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी खुरेरी परगना, ग्वालियर (3) श्रीमती काशी बाई पत्नी श्री बाबू सिंह निवासी खुरेरी, जिला ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

सचिन गुप्ता,
फर्म-डीयरहिल,
आजाद नगर, गली नं.1, मुरार, ग्वालियर (म. प्र.).
द्वारा—राजीव जैन (सी. ए.)
द्वितीय तल, सांई अपार्टमेंट, जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर.

(226-बी.)

PUBLIC NOTICE

M/s Damoh Infrastructure, Jabalpur is a partnership firm vide deed dated 24th March, 2011. There were two partner in this firm. Now vide deed dated 29th June, 2014. Shri Ashvini Shrivastava retired and Smt. Anita Shrivastava joined as partner. If any person has any objection than please entimate within 7 days at following address:-

DAMOH INFRASTRUCTURE,
(ANITA SHRIVASTAVA),
(PARTNER),
831, Upper Block, in the House of
C.K. Saxena, Wright Town Jabalpur (M.P.).

(227-B.)

PUBLIC NOTICE

M/s Arjit Construction, Jabalpur is a partnership firm vide deed dated 01st March, 2008. There were four partners in this firm. Now vide deed dated 04th April, 2014. Shri Ashvini Shrivastava retired and Smt. Anita Shrivastava joined as partner. If any person has any objection than please entimate within 7 days at following address:-

ARJIT CONSTRUCTION,
(ANITA SHRIVASTAVA),
(PARTNER),
14, Jabalpur Club Complex,
Naudra Bridge, Jabalpur (M.P.).

(228-B.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सागर

एन. एस. ए. प्रकरण क्रमांक-12/2013
पुलिस थाना राहतगढ़, जिला सागर.

एतदद्वारा जरिए इश्तहार एन. एस. ए. अनावेदक शफीक पिता शरीफ कुरैशी, उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 10 राहतगढ़, पुलिस थाना राहतगढ़, तहसील राहतगढ़, जिला सागर को जरिए इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक, सागर के प्रतिवेदन क्रमांक/पु.अ./रीडर/एन.एस.ए./12/13, सागर, दिनांक 19 अक्टूबर, 2013 पर आप पर लगाये गये आरोपों पर प्रकरण में दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को आपके विरुद्ध निरोध आदेश पारित किया जाकर पुलिस अधीक्षक सागर के माध्यम से आप पर तामीली हेतु भेजा गया था. पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा अपने

ज्ञापन क्रमांक पु. अ./सागर/जि.द./12-सी/13, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 से अवगत कराया कि आपकी तलाश उसकी सकूनत, आस-पास के ग्रामों एवं मिलने के संभावित स्थानों ग्राम झिला, पंचमा, बटियाबदा, कल्याणपुर, चन्द्रापुर, मीरखेडी, परासरी, त्यौंदा, सवारी ताजिया, राहतगढ़ कस्बा, सीहोरा, सुमेरेरी, मोहासा, पाटन, बेरखडी, चौकी, मसुरयाई, ढकरई, सेमरा, कठौदा, मानकी, सलैया, मरदानपुर, सागौनी उमरिया, बरखेडा, भैसा, गढ़ाघाट, पिपरिया, हिरनखेडा, किटुवा, कोलुआ, बहादुरपुर, हुरा एवं खैजरामाफी आदि पर लगातार की गई जो आपके फरार होने के कारण दस्तयाब न होना प्रतिवेदित किया गया है.

पुलिस अधीक्षक सागर ने ज्ञापन क्र.-पु.अ./सागर/री.जि.द./19(2)/14, दिनांक 26 अप्रैल, 2014 में लेख किया गया कि निरोध आदेश तामीली के क्रम में थाना प्रभारी राहतगढ़ द्वारा आपके निवास एवं संभावित स्थानों पर लगातार तलाश उपरांत दस्तयाब न होने से तलाशी/फरारी पंचनामा तैयार कर आपके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-82 के तहत् फरारी कार्यवाही प्रस्तावित की गई.

मुझे थाना प्रभारी राहतगढ़/पुलिस अधीक्षक, सागर के प्रतिवेदन से यह समाधान हो गया है कि निरोध आदेश दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 के जारी होने के उपरांत आप फरार होकर अपने आप को छुपाये हुए हैं. अत: आपको आदेश दिये जाते हैं कि आप इस इश्तहार के प्रकाशन के 30 दिवस (तीस दिवस) के पश्चात् अपनी उपस्थिति थाना प्रभारी, पुलिस थाना, राहतगढ़ के समक्ष दें. आपके उपस्थित न होने पर आपको उद्घोषित उपराधी घोषित कर दिया जावेगा.

(615)

एन. एस. ए. प्रकरण क्रमांक-11/2013

पुलिस थाना राहतगढ़, जिला सागर.

एतदद्वारा जरिए इश्तहार एन. एस. ए. अनावेदक बाबू उर्फ उमर पिता मुन्ना कुरैशी, उम्र 28 वर्ष, वार्ड नं. 11 पुलिस थाना राहतगढ़, तहसील राहतगढ़, जिला सागर को जरिए इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक, सागर के प्रतिवेदन क्रमांक/पु.अ./रीडर/एन.एस.ए./10/13, सागर, दिनांक 19 अक्टूबर, 2013 पर आप पर लगाये गये आरोपों पर प्रकरण में दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को आपके विरुद्ध निरोध आदेश पारित किया जाकर पुलिस अधीक्षक सागर के माध्यम से आप पर तामीली हेतु भेजा गया था. पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा अपने ज्ञापन क्रमांक पु. अ./सागर/जि.द./10-डी/13, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 से अवगत कराया कि आपकी तलाश उसकी सकूनत, आस-पास के ग्रामों एवं मिलने के संभावित स्थानों ग्राम झिला, पंचमा, बटियाबदा, कल्याणपुर, चन्द्रापुर, मीरखेडी, परासरी, त्यौंदा, सवारी ताजिया, राहतगढ़ कस्बा, सीहोरा, सुमेरेरी, मोहासा, पाटन, बेरखडी, चौकी, मसुरयाई, ढकरई, सेमरा, कठौदा, मानकी, सलैया, मरदानपुर, सागौनी उमरिया, बरखेडा, भैसा, गढ़ाघाट, पिपरिया, हिरनखेडा, किटुवा, कोलुआ, बहादुरपुर, हुरा एवं खैजरामाफी आदि पर लगातार की गई जो आपके फरार होने के कारण दस्तयाब न होना प्रतिवेदित किया गया है.

पुलिस अधीक्षक सागर ने ज्ञापन क्र.-पु.अ./सागर/री.जि.द./19(2)/14, दिनांक 26 अप्रैल, 2014 में लेख किया गया कि निरोध आदेश तामीली के क्रम में थाना प्रभारी राहतगढ़ द्वारा आपके निवास एवं संभावित स्थानों पर लगातार तलाश उपरांत दस्तयाब न होने से तलाशी/फरारी पंचनामा तैयार कर आपके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-82 के तहत् फरारी कार्यवाही प्रस्तावित की गई.

मुझे थाना प्रभारी राहतगढ़/पुलिस अधीक्षक, सागर के प्रतिवेदन से यह समाधान हो गया है कि निरोध आदेश दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 के जारी होने के उपरांत आप फरार होकर अपने आप को छुपाये हुए हैं. अत: आपको आदेश दिये जाते हैं कि आप इस इश्तहार के प्रकाशन के 30 दिवस (तीस दिवस) के पश्चात् अपनी उपस्थिति थाना प्रभारी, पुलिस थाना, राहतगढ़ के समक्ष दें. आपके उपस्थित न होने पर आपको उद्घोषित उपराधी घोषित कर दिया जावेगा.

(615-A)

एन. एस. ए. प्रकरण क्रमांक-14/2013

पुलिस थाना राहतगढ़, जिला सागर.

एतदद्वारा जरिए इश्तहार एन. एस. ए. अनावेदक प्रकाश, पिता प्रेमनारायण शिकारी, उम्र 35 वर्ष, वार्ड नं. 07 पुलिस थाना राहतगढ़, तहसील राहतगढ़, जिला सागर को जरिए इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक, सागर के प्रतिवेदन क्रमांक/पु.अ./रीडर/एन.एस.ए./14/13, सागर, दिनांक 12 नवम्बर, 2013 पर आप पर लगाये गये आरोपों पर प्रकरण में दिनांक 14 नवम्बर, 2013 को आपके विरुद्ध निरोध आदेश पारित किया जाकर पुलिस अधीक्षक सागर के माध्यम से आप पर तामीली हेतु भेजा गया था. पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा अपने

ज्ञापन क्रमांक पु. अ./सागर/जि.द./14-सी/13, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 से अवगत कराया कि आपकी तलाश उसकी सकूनत, आस-पास के ग्रामों एवं मिलने के संभावित स्थानों ग्राम झिला, पंचमा, बटियाबदा, कल्याणपुर, चन्द्रापुर, मीरखेडी, परासरी, त्यौंदा, सवारी ताजिया, राहतगढ़ कस्बा, सीहोरा, सुमेरेरी, मोहासा, पाटन, बेरखडी, चौकी, मसुरयाई, ढकरई, सेमरा, कठौदा, मानकी, सलैया, मरदानपुर, सागौनी उमरिया, बरखेडा, भैसा, गढ़ाघाट, पिपरिया, हिरनखेडा, किटुवा, कोलुआ, बहादुरपुर, हुरा एवं खैजरामाफी आदि पर लगातार की गई जो आपके फरार होने के कारण दस्तयाब न होना प्रतिवेदित किया गया है.

पुलिस अधीक्षक सागर ने ज्ञापन क्र.-पु.अ./सागर/री.जि.द./19(2)/14, दिनांक 26 अप्रैल, 2014 में लेख किया गया कि निरोध आदेश तामीली के क्रम में थाना प्रभारी राहतगढ़ द्वारा आपके निवास एवं संभावित स्थानों पर लगातार तलाश उपरांत दस्तयाब न होने से तलाशी/फरारी पंचनामा तैयार कर आपके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-82 के तहत् फरारी कार्यवाही प्रस्तावित की गई.

मुझे थाना प्रभारी राहतगढ़/पुलिस अधीक्षक, सागर के प्रतिवेदन से यह समाधान हो गया है कि निरोध आदेश दिनांक 14 नवम्बर, 2013 के जारी होने के उपरांत आप फरार होकर अपने आप को छुपाये हुए हैं. अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि आप इस इश्तहार के प्रकाशन के 30 दिवस (तीस दिवस) के पश्चात् अपनी उपस्थिति थाना प्रभारी, पुलिस थाना, राहतगढ़ के समक्ष दें. आपके उपस्थित न होने पर आपको उद्घोषित उपराधी घोषित कर दिया जावेगा.

योगेन्द्र शर्मा,
मजिस्ट्रेट.

(615-बी)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (शहर) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

आवेदक श्री जाकिर हुसैन, कार्यकारी न्यासी भोपाल एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, तहसील हुजूर भोपाल द्वारा उपस्थित होकर नव भोपाल एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, नि.—23 मजहर मंजिल, अलीगंज भोपाल को मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 02 जुलाई, 2014 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो, लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	..	भोपाल एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट भोपाल.
कार्यालय का पता	..	23, मजहर मंजिल अलीगंज, भोपाल.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	रु. 5,000/-

संदीप केरकेट्टा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(616)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

संशोधित

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

गेंदीबाई ओंकार जी अग्रवाल, ट्रस्ट कार्यालय पुराना 9, नया 161, रानीपुरा, इंदौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री गोपालदास पिता रतनलाल अग्रवाल, निवासी 16, स्नेहलतागंज, इंदौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	गेंदीबाई औंकार जी अग्रवाल, ट्रस्ट.
कार्यालय पता	:	पुराना 9, नया 161, रानीपुरा, इंदौर.
अचल सम्पत्ति	:	म्युनिसीपल म. नं. पुराना 9, नया 161, रानीपुरा, इंदौर, मध्यप्रदेश कुल क्षेत्रफल 682.47 वर्गफीट जिस पर तीन मंजिला मकान बना है. वर्तमान कीमत 32, 33,000/- (अक्षरी रुपये बत्तीस लाख तैतीस हजार मात्र)
चल सम्पत्ति	:	रु. 711/- (अक्षरी रुपये सात सौ ग्यारह मात्र).

आज दिनांक 16 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,

(618) रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, गुना

प्र. क्र. 05बी 121/2013-2014.

प्ररूप-पाँच

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

श्री गुरूद्वारा साहिब शहिदॉ पातशाही-9 वी गुरूतेग
बहादुर रीलिजियस एवं चेरीटेबल ट्रस्ट भदौरा द्वारा :—

सन्त बाबा श्री भूपेन्दरसिंह जी आत्मज श्री नारायण सिंह .....आवेदक

चूँकि श्री बाबा भूपेन्दरसिंह आत्मज श्री सरदारनारायणसिंह, निवासी पावर हाउस के पास श्री गुरूतेग बहादुर गुरूद्वारा साहिब शाहिदॉ पातशाही, 9 वी ए. बी. रोड, भदौरा, तहसील व जिला गुना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन दिया है. मुझे यह प्रतीत होता है कि, अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करता है.

अत: मैं, टी. एन. सिंह, अनुविभागीय अधिकारी, गुना, जिला गुना, अनुविभाग गुना का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 अगस्त, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम व पता)

इस लोक न्यास का नाम श्री गुरूद्वारा साहिब शाहिदॉ पातशाही, 9 वी गुरू तेगबहादुर रिलिजियस चेरीटेबल ए. बी. रोड, भदौरा, तहसील व जिला गुना होगा.

लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन :

(अ) न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण :— कुछ नहीं.

(ब) न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण एवं उसका मूल्य.

न्यास के पास वर्तमान में अचल सम्पत्ति में ग्राम भदौरा, पटवारी हल्का नम्बर 57, तहसील व जिला गुना, स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक-335/13, रकबा 1.045 हेक्टर जो कि, निम्न चतुर्सीमा में स्थित है :—

पूर्व में—	गुरूद्वारा की भूमि
पश्चिम में—	ए. बी. रोड
उत्तर में—	गुरूद्वारा की भूमि
दक्षिण में—	स्वयं विक्रेता की भूमि

यह भूमि पर वर्तमान में श्री सन्त बाबा श्री भूपेन्दरसिंह जी आत्मज श्री नारायण सिंह जी अध्यक्ष के नाम पर दर्ज है जो उन्होंने पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2012 के द्वारा श्रीमती अरूणीमा चौहान पत्नि श्री मुकेश सिंह चौहान, निवासी धाकड़ कॉलोनी, गुना से क्रय की है जिस पर भविष्य में गुरूद्वारा का निर्माण होना है. इस भूमि की वर्तमान बाजारू कीमत 20,90,000.00 रुपये है.

टी. एन. सिंह,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(619)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/251.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा राधेकृष्ण पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1672, दिनांक 25 जुलाई, 1998 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये राधेकृष्ण पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दु पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581-P)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/385.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा सालासर पावर लूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./27, दिनांक 30 मार्च, 2013 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये सालासर पावर लूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दु पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जे. एल. बरडे,
उप-पंजीयक.

(607)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, भिण्ड, जिला भिण्ड

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चरथर	368/29-03-1986	636/07-05-2013
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जवासा	501/16-05-1988	620/07-05-2013
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाराकला	518/16-03-1988	621/07-05-2013
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नुन्हाटा	457/25-03-1987	622/07-05-2013
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चन्द्रपुरा	511/16-03-1988	623/07-05-2013
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ऊमरी	344/04-03-1985	624/07-05-2013
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लहरौली	345/04-03-1985	625/07-05-2013
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तखत की गढ़िया	443/04-03-1985	626/07-05-2013
9.	गांधी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सुन्दरपुरा	257/14-07-1973	661/07-05-2013
10.	मोमिन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	193/09-01-1970	659/07-05-2013
11.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बिजपुरी	927/03-12-2005	662/07-05-2013
12.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ढोचरा	943/10-07-2006	657/07-05-2013
13.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लहरौली	893/11-10-2004	653/07-05-2013
14.	पीताम्बरा महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	901/13-01-2005	642/07-05-2013
15.	जय दुर्गे महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गोविन्द नगर	830/15-02-2002	650/07-05-2013
16.	महिला नारी कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., महावीर चौक भिण्ड	887/05-10-2004	651/07-05-2013
17.	अ. जा/अ.ज.जा. स्टेशनरी क्रय विक्रय सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	881/01-03-2004	660/07-05-2013
18.	महिला अल्प बचत साख सहकारी संस्था मर्या., हाऊसिंग कॉलोनी	923/25-10-2005	639/07-05-2013
19.	सूर्या सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	702/01-09-2004	641/07-05-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दि. से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे.

समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदार/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षण स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 30 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

माताप्रसाद,

(599) सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, भिण्ड, जिला भिण्ड

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड के आदेश क्रमांक/परि./2013/188, भिण्ड, दिनांक 30 जनवरी, 2013 के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आर्दश तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	138/11-06-1965	1093/20-06-1991
2.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	173/17-06-1965	2680/20-04-1984
3.	ऊन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	014/24-10-1963	934/31-03-1998
4.	आर्दश चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	-	-
5.	दाल-चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., विलाव	183/23-01-1973	-
6.	भिण्ड लेदर वर्क्स सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	8232/14-12-1972	8228/20-10-1968
7.	मोचियान तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	7883/21-12-1975	7883/27-12-1978
8.	आजाद कृषि उपकरण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	157/08-12-1962	1206/20-06-1991
9.	लक्ष्मी तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अकोड़ा	326/23-02-1983	1208/20-06-1991
10.	काष्ट कला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	219/27-03-1968	1230/20-06-1991
11.	गांधी रेडीमेड उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	335/31-12-1983	1204/20-06-1991
12.	ढलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	272/26-02-1976	784/27-04-1995
13.	आदर्श महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	287/26-02-1976	289/27-04-1995

1	2	3	4
14.	दाल चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	184/23-01-1973	2730/29-09-1977
15.	लक्ष्मी तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नयागॉव	433/12-11-1966	971/27-06-1995
16.	आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	413/26-05-1986	2208/03-11-2000
17.	आदर्श नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	361/09-09-1985	2205/08-11-2000
18.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सायना	655/05-04-1989	1512/25-06-2009
19.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गहेली	520/21-03-1998	1511/25-06-2009
20.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कनाथर	564/14-03-1988	1575/25-06-2009
21.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सीताराम की लावन	652/20-04-1989	1528/25-06-2009
22.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिरखड़ी	452/12-03-1987	1130/30-06-2006
23.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुकाण्ड	508/16-03-1988	994/06-04-2005
24.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खनेता	641/30-04-1989	852/19-04-1995
25.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घमूरी	552/23-07-1987	860/23-04-1995

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे.

समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदार/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षण स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 15 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

आर. के. जैन "सोहाने",
ऑडिटर एवं परिसमापक.

(600)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, भिण्ड, जिला भिण्ड

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड के आदेश क्रमांक/परि./2013/179, भिण्ड, दिनांक 30 जनवरी, 2013 के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	इंदिरा गांधी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लहार	841/06-06-2002	-
2.	नेहरु बुनकर उद्योग सहकारी संस्था मर्या., दबोह	448/05-03-1987	2578/14-10-1991
3.	शाक्यो बुनकर उद्योग सहकारी संस्था मर्या., लहार	-	-
4.	वारसी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., लपवाहा	01/21-07-1998	-
5.	टेलरी सहकारी संस्था मर्या., लहार	199/14-03-1966	606/21-02-1981
6.	हरिजन कुम्हारी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., जमुहा	1272/16-06-1975	1297/16-06-1975
7.	राष्ट्रीय तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बडोखरी	-	7979/27-12-1978
8.	विनोवा तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., लहार	7083/05-12-1972	-
9.	ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मड़ोरी अजनार	326/23-02-1982	1217/20-06-1991
10.	ब्रिक्स सप्लाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., लहार	130/	-
11.	अजन्ता चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., लालपुरा लहार	726/25-03-1986	165/25-06-2009
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चादोंख	654/05-04-1989	1467/25-06-2009
13.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काथा	516/16-03-1988	1468/25-06-2009
14.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानगढ़	655/28-04-1987	1472/25-06-2009
15.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बन्थरी	514/16-03-1988	1471/25-06-2009
16.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दोलतपुरा	555/24-04-1988	1473/25-06-2009

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे.

समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदार/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षण स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

विनोद कुमार जैन,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(601)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/810.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2384, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुलाहेड़ा, तहसील घट्टिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 558, दिनांक 30 जून, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(602)

उज्जैन, दिनांक 26 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1498.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2409, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., दुबली, तहसील तराना जिसका पंजीयन क्रमांक 392, दिनांक 11 अक्टूबर, 1976 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(602-A)

उज्जैन, दिनांक 26 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1499.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2409, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., करंज, तहसील तराना, जिसका पंजीयन क्रमांक 489, दिनांक 06 सितम्बर, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(602-B)

उज्जैन, दिनांक 26 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1500.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3025, दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 द्वारा श्री गुरू बाबूलाल साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1455, दिनांक 13 जून, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनायक राजुरकर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(602-C)

उज्जैन, दिनांक 26 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1501.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 द्वारा जगदीश महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्यादित, निम्बोदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 56, दिनांक 16 जून, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश शेर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(602-D)

उज्जैन, दिनांक 26 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1502.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 द्वारा स्वयं सेवक महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्यादित, दौत्र, तहसील बड़नगर, जिसका पंजीयन क्रमांक 41, दिनांक 12 मई, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश शेर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(602-E)

उज्जैन, दिनांक 26 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1503.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 द्वारा राजेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्यादित, भैसलाखुर्द, तहसील बड़नगर, जिसका पंजीयन क्रमांक 53, दिनांक 05 जून, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश शेर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(602-F)

उज्जैन, दिनांक 26 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1504.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3089, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 द्वारा उज्जैन जिला अभिभाषक साख सहकारिता मर्यादित, उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 06, दिनांक 06 जनवरी, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पुरूषोत्तम सोनी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(602-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., ढाबलागोरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 562, दिनांक 15 सितम्बर, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(602-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2409, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., दिलोद्री, तहसील तराना, जिसका पंजीयन क्रमांक 676, दिनांक 29 मई, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(602-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2409, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., वरण्डवा, तहसील तराना, जिसका पंजीयन क्रमांक 470, दिनांक 28 अगस्त, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(602-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

श्रीराम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., नागदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1039, दिनांक 12 मार्च, 1992 को अकार्यशील होकर विगत वर्षों से कार्य बंद कर दिये जाने के कारण आदेश क्रमांक 1485, दिनांक 03 जुलाई, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की हैं.

अत: सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/1485, दिनांक 03 जुलाई, 2013 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत श्रीराम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., नागदा, पंजीयन क्रमांक 1039, दिनांक 12 मार्च, 1992 को इस शर्त पर पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबन्ध समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री आर. एल. परमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, खाचरोद को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(602-K)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/396.—लक्ष्मी वनोपज दोना, पत्तल निर्माण सहकारी समिति मर्या., ढोंड़ पंजीयन क्रमांक 629 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/223, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/16, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत लक्ष्मी वनोपज दोना, पत्तल निर्माण सहकारी समिति मर्या., ढोंड़ विकासखण्ड शहपुरा, पंजीयन क्रमांक 629, दिनांक 21 फरवरी, 1997 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. परस्ते, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/397.—हरि कामठ बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिंगपुर, पंजीयन क्रमांक 07 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता,, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./224, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/17, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी

समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत हरि कामठ बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिंगपुर, विकासखण्ड बजाग, पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 01 दिसम्बर, 1997 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. आर. परते, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-A)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/398.—ईंट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., बजाग, पंजीयन क्रमांक 21 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/24, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/24, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत ईंट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., बजाग, विकासखण्ड बजाग, पंजीयन क्रमांक 21, दिनांक 26 अप्रैल, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. आर. परते, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-B)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/399.—स्वर्ण रजत आभूषण निर्माण सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 05 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/207, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/25, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत स्वर्ण रजत आभूषण निर्माण सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी, विकासखण्ड डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 05, दिनांक 26 मार्च, 2001 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. एस. मरावी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-C)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/400.—अन्नपूर्णा साग सब्जी उत्पादन सहकारी समिति मर्या., रमपुरी, पंजीयन क्रमांक 06 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/208, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/12, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत अन्नपूर्णा साग सब्जी उत्पादन सहकारी समिति मर्या., रमपुरी, विकासखण्ड डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 06, दिनांक 13 सितम्बर, 2001 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. एस. मरावी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-D)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/401.—साई साग-सब्जी उत्पादन सहकारी समिति मर्या., नेवसा पोंड़ी, पंजीयन क्रमांक 08 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की

उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/209, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/07, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत साई साग-सब्जी उत्पादन सहकारी समिति मर्या., नेवसा पोंड़ी, विकासखण्ड डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 08, दिनांक 13 सितम्बर, 2001 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. एस. मरावी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-E)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/402.—नर्मदा महिला उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., डिण्डोरी, पंजीयन क्रमांक 20 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/210, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/08, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत नर्मदा महिला उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., डिण्डोरी, विकासखण्ड डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 20, दिनांक 25 अप्रैल, 1997 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. पी. खरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-F)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/403.—माँ शारदा रिक्सा चालक सहकारी समिति मर्या., सुवरवार (डिण्डौरी), पंजीयन क्रमांक 19 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/211, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/27, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ शारदा रिक्सा चालक सहकारी समिति मर्या., सुवरवार (डिण्डौरी), विकासखण्ड डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 19, दिनांक 19 सितम्बर, 2003 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. एस. मरावी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-G)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/404.—अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मेंहदवानी, पंजीयन क्रमांक 01 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/212, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/09, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी

समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मेंहदवानी, विकासखण्ड मेंहदवानी, पंजीयन क्रमांक 01, दिनांक 25 नवम्बर, 1999 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. परस्ते, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-H)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/405.—राष्ट्रीय आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्या., धुर्रा देवरी, पंजीयन क्रमांक 25 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/213, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/22, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्या., धुर्रा देवरी, विकासखण्ड डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 23 जनवरी, 1960 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री पी. सी. गवले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-I)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/406.—स्वाती प्राथमिक खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., शहपुरा, पंजीयन क्रमांक 707 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/214, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/26, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत स्वाती प्राथमिक खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., शहपुरा, विकासखण्ड शहपुरा, पंजीयन क्रमांक 707, दिनांक 14 अप्रैल, 1957 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्रीमती ज्योति प्रधान, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-J)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/407.—आदिवासी मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., पाटनगढ़, पंजीयन क्रमांक 704 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/215, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/20, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदिवासी मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., पाटनगढ़, विकासखण्ड करंजिया, पंजीयन क्रमांक 704, दिनांक 10 फरवरी, 1997 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. आर. परते, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-K)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/408.—आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., ओंरई, पंजीयन क्रमांक 428 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के

प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/216, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/10, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., औंरई, विकासखण्ड डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 428, दिनांक 26 मार्च, 1984 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. एस. मरावी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-L)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/409.—शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पड़रिया, पंजीयन क्रमांक 13 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/217, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/11, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पड़रिया, विकासखण्ड समनापुर, पंजीयन क्रमांक 13, दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री पी. सी. गवले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-M)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/410.—बुनकर सहकारी समिति मर्या., भानपुर, पंजीयन क्रमांक 24 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/218, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/14, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बुनकर सहकारी समिति मर्या., भानपुर, विकासखण्ड बजाग, पंजीयन क्रमांक 24, दिनांक 16 जनवरी, 1960 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. आर. परते, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-N)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/411.—चन्द्र बुनकर सहकारी समिति मर्या., सरवाही, पंजीयन क्रमांक 378 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/219, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/21, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत चन्द्र बुनकर सहकारी समिति मर्या., सरवाही, विकासखण्ड बजाग, पंजीयन क्रमांक 378, दिनांक ..... को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की

आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. आर. परते, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-O)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/412.—शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सधोली धनगांव, पंजीयन क्रमांक 10 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/220, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/18, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सधोली धनगांव, विकासखण्ड शहपुरा, पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 22 मई, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्रीमती ज्योति प्रधान, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-P)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/413.—राजीव गांधी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., नांदा, पंजीयन क्रमांक 693 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/222, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/13, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत राजीव गांधी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., नांदा, विकासखण्ड अमरपुर, पंजीयन क्रमांक 693, दिनांक 08 अप्रैल, 1996 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री पी. सी. गवले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-Q)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/414.—मां नर्मदा आदि. महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 18 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/221, दिनांक 31 मार्च, 2012 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/19, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मां नर्मदा आदि. महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी, विकासखण्ड डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 18, दिनांक 01 सितम्बर, 2003 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्रीमती ज्योति प्रधान, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-R)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/416.—मछुआ सहकारी समिति मर्या., बिछिया, पंजीयन क्रमांक 727 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनिययम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/

अंके./2012/29, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2012/29, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मछुआ सहकारी समिति मर्या., बिछिया, विकासखण्ड शहपुरा, पंजीयन क्रमांक 727, दिनांक 23 अप्रैल, 1998 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. परस्ते, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(603-S)

डिण्डौरी, दिनांक 17 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपडि/परि./2014/417.—प्राथमिक खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., शहपुरा, पंजीयन क्रमांक 694 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने, समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्र/अंके./2012/26, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रुचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/26, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, डिण्डौरी. उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्राथमिक खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., शहपुरा, विकासखण्ड शहपुरा, पंजीयन क्रमांक 694, दिनांक 17 अप्रैल, 1996 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. पी. खरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. के. त्रिपाठी,
सहायक पंजीयक.

(603-T)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आनन्दीखेडी,

तहसील मो. बडोदिया, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 811, दिनांक 28 फरवरी, 2002, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/597.---विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उचौद,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 920, दिनांक 30 अगस्त, 2005, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/598.---विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग

करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-A)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौसलाकुल्मी,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 920, दिनांक 30 अगस्त, 2005, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/598.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-B)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजनाखेडी,

तहसील आगर, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 920, दिनांक 30 अगस्त, 2005, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/600.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-C)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बापचा बड़ौद,

तहसील बड़ौद, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 344, दिनांक 24 अक्टूबर, 1985, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/601.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-D)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झलारा-II

तहसील आगर, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 487, दिनांक 16 मई, 1988, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/602.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-E)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आखाखेडी,

तहसील आगर, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 268, दिनांक 17 जनवरी, 1984, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/603.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते

हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-F)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुमराखेडी,

तहसील आगर, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 191, दिनांक 25 मई, 1981, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/604.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-G)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,
द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवगढ़,
तहसील आगर, जिला आगर.
पंजीयन क्रमांक 352, दिनांक 24 दिसम्बर, 1985, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/605.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-H)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सनावदी,

तहसील आगर, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 630, दिनांक 30 जून, 1994, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/606.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-I)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,
द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खामखेडा (सुन्दरसी),
तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 265, दिनांक 31 दिसम्बर, 1983, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/607.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-J)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बज्जाहेडा,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 462, दिनांक 14 जनवरी, 1988, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/608.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें.

यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-K)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबनहेडा,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 1021, दिनांक 11 मई, 2010, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/609.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-L)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुआखेडी,

तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 1017, दिनांक 22 फरवरी, 2010, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/610.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-M)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बुडलाय,

तहसील गुलाना, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 934, दिनांक 16 फरवरी, 2006, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/611.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-N)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गरबडा,

तहसील बडोद, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 200, दिनांक 07 सितम्बर, 1981, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/612.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-O)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुदवास,

तहसील बडोद, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 199, दिनांक 07 सितम्बर, 1981, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/613.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3)

एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-P)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निशाना,

तहसील गुलाना, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 756, दिनांक 31 मार्च, 2001, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/614.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-Q)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रानीबडौद,

तहसील गुलाना, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 150, दिनांक 25 जनवरी, 1980, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/615.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-R)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलसावद,

तहसील गुलाना, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 156, दिनांक 15 अप्रैल, 1980, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/616.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-S)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलाना,

तहसील गुलाना, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 482, दिनांक 29 मार्च, 1988, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/617.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-T)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुडियादेव,

तहसील आगर, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 270, दिनांक 17 जनवरी, 1984, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/618.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-U)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांकरिया,

तहसील आगर, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 295, दिनांक 11 अक्टूबर, 1984, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/597.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-V)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बांकाखेडी,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 852, दिनांक 17 जनवरी, 2003, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/620.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते

हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-W)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टील्याखेडी,

तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 971, दिनांक 17 जून, 2008, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/621.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-X)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपुरा,

तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 895, दिनांक 01 नवम्बर, 2004, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/622.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-Y)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलवा,

तहसील कालपीपल, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 712, दिनांक 31 मार्च, 1979, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/623.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(604-Z)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डौराबाद,

तहसील कालपीपल, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 766, दिनांक 06 सितम्बर, 2001, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/624.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

आर. के. मालवीय,
उप-पंजीयक.

(605)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त 2014-श्रावण 10, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा मण्डला जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील निवास (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**— . .

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला दतिया, बुरहानपुर, होशंगाबाद में फसल गेहूँ व अनूपपुर मसूर, चना व भोपाल में गेहूँ, चना, मसूर व सिंगरौली अलसी, मसूर, चना, तुअर व डिण्डोरी अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, मुरैना, दमोह, धार, इन्दौर, खरगौन, विदिशा, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, कटनी में मसूर एवं अन्य रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, उमरिया, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली, तिली अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, जौ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, गेहूँ अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
6. नई सराय	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघौगढ़	. .		(2) . .	. .	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, अरहर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्स्वाहा	. .				
***जिला पन्ना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. शाहगढ़	. .				
11. मालथोन	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना फसल बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		चना, मसूर, सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		कम. अरहर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) . .		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
5. बुढार	. .				
6. गोहपारू	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. मसूर, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना, मटर, गेहूँ अधिक. मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		राई-सरसों, तुअर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. अलसी, मसूर, चना, तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ अधिक. जौ कम. राई-सरसों, अलसी, मटर, चना, आलू समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. रायडा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. शामगढ़	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. कयामपुर	. .				
10. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ोद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		गेहूँ, मसूर, जौ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) . .		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भामरा	. .				
4. कट्टीवाड़ा	. .				
5. सोण्डवा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू	. .				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		राई-सरसों समान.		
4. सेगांव	. .		(2) . .		
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला पूर्व-निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. फसल गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		अधिक. गन्ना सम्मान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, लाख	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		बिगड़ी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		(2) . .		
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		अलसी अधिक. गेहूँ, तिवड़ा कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैतूल	. .				
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. गेहूँ फसल की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) चना, मटर, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
***जिला हरदा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. मसूर एवं अन्य रबी	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	फसलों की कटाई का	4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .	कार्य चालू है.	मटर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .				
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .		(2) . .		
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	12.5		4. (1) धान, मक्का, कोदों, तुअर, तिल, सन सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	31.8				
3. नैनपुर	19.3		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. मण्डला	19.9				
5. घुघरी	26.4				
6. नारायणगंज	22.3				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, बटरा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, रामतिल, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक. बाजरा, ज्वार, कोदों, उड़द, सोयाबीन,तिल, सन, लाख, तिवड़ा कम. मूँग, मूँगफली, मसूर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .				
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .		(2) . .		
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, गुना, पन्ना, शहडोल, बड़वानी, पूर्व निमाड़, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(598)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.